न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, परबतसर जिला नागौर राज.

पीठासीन अधिकारी :– शक्तिसिंह भाटी आर.ए.एस.

वाद–पत्र संख्या – 20 / 2018

वादी – देवेन्द्रसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत उम्र 02 वर्ष नाबालिग जरिये संरक्षक सगी माता सुशीला कंवर पत्नि हीरसिंह जाति राजपूत निवासी निम्बोला तहसील परबतसर जिला नागौर राज0

बनाम

प्रतिवादी – 1. गणपतसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत निवासी निम्बोला तहसील परबतसर जिला नागौर राज0
2. यू.बी.आई.बैंक शाखा बाजवास तहसील परबतसर।
3. तहसीलदार परबतसर।
4. उप पंजीयक भकरी।
5. उप पंजीयक परबतसर।

दावा बाबत बंटवारा, घोषणाएवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी परबतसर नागौर

दिनांक 25/02/19

–:: आदेश ::–

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम निम्बोला तहसील परबतसर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नंबर 30 रकबा 1.3900 हैक्टेयर खसरा नंबर 37 रकबा 0.13 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.52 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आई हुई है जिसकी नकल जमाबन्दी साथ में पेश है। उपरोक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पति है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का पौत्र है। उपरोक्त भूमि एसेन्टीयल सम्पति है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का पौत्र है जिसकी खातेदारी वादी के दादा के नाम दर्ज है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उपरोक्त पैतृक सम्पति के उनके हित परोक्ष रूप से निहित है। वादी प्रतिवादी संख्या 1 का वारिस होने से उक्त कृषि भूमि में जन्म से ही हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 की वृद्वावस्था तथा वे हर समय नशे में रहते है इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 भूमि को बैचान करने पर तुले हुये है। अगर प्रतिवादी संख्या 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो वादी के अधिकारों पर कुठाराधात होगा। प्रतिवादी संख्या 1 अन्य लोगो की बहकावट में आकर इस जमीन को बैचान करने पर तुला हुआ है जबकि वादी प्रतिवादी संख्या 1 का पौत्र है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार दादा

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

की सम्पति में पिता व पौत्र का समान अधिकार है। वादी पैरा संख्या 1 सम्पूर्ण में से 1/5 हिस्से का कानूनी रूपसे अधिकारी है इसलिए अपने हितों की रक्षा के लिए यह वाद पेश कर रहा है। वादी अपने हिस्से की उक्त वर्णित 1/5 हिस्से का बंटवारा करवाने का अधिकारी है। वादीगण को उनके जायज वैधानिक हकूकों से वंचित रखने की गर्ज से उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी का हिस्सा रखने की गर्ज से उपरोक्त वर्णित आराजीयात में वादी का हिस्सा हक सुरक्षित रखें बगैर सम्पूर्ण कृषि भूमि को विक्रय करने पर आमादा है। उपरोक्त कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का हक हिस्सा जन्म से ही मौजूद है तथा वादी इस वाद के जरिये अपना हक हिस्सा की घोषणा व उसका बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाने का मुश्तहक है। सम्पूर्ण भूमि में जो पैरा संख्या 1 में है जिसमें से 1/5 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी नाबालिग होने से कुदरती वली माता द्वारा यह वाद पेश किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा उक्त जमीन बैंक के रहन रखी हुई है जिससे बैंक के प्रतिनिधि को पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर ग्राम निम्बोला तहसील परबतसर की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 30 रकबा 1.39 हैक्टेयर व खसरा नंबर 37 रकबा 0.13 हैक्टेयर में से 1/5 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा वादी के हिस्से की भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा किया जाकर अलग होल्डिंग कायम की जावे। प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी के हक हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को वास्ते जवाबदेही जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूद्व बावजूद सूचना हाजिर नहीं होने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के पक्ष में राजीनामा पेश कर निवेदन किया है कि उक्त विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को पैतृक उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के साथ–साथ उसके चार पुत्र, दो पुत्रियों एवं पौत्र का हक हिस्सा है। उसका एक पुत्र किरणसिंह फौत हो चुका है। इस प्रकार उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, पुत्र दिलिपसिंह का 1/6 हिस्सा, पुत्र सज्जनसिंह का 1/6 हिस्सा तथा पुत्र हीरसिंह का 1/6 हिस्सा, पुत्री धनकंवर पत्नि कालूसिंह का 1/6 हिस्सा एवं पुत्री सुमन कंवर पत्नि सुगनसिंह का 1/6 हिस्सा है। वादी का हिस्सा हीरसिंह के 1/6 हिस्से में निहीत है। अतः उक्तानुसार सभी हिस्सेदारों का 1/6–1/6 हिस्सा की खातेदारी घोषित की जावे। वादी अपना हक हिस्सा अपने पिता के हिस्सा में से प्राप्त करेगा इस पर वादी सहमत है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उपस्थित पक्षकारान को सुना। विवादित भूमि राजस्व ग्राम निम्बोला के खसरा नंबर 30 रकबा 1.39 हैक्टेयर, खसरा नंबर 37 रकबा 0.13

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

हैक्टेयर कुल रकबा 1.52 हैक्टेयर भूमि का गणपतसिंह पुत्र लालसिंह दर्ज रिकार्ड खातेदार है। प्रतिवादी संख्या 1 के स्वयं के कथन अनुसार उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक उत्तराधिकार की भूमि है जिसमें वादी का भी हक हिस्सा निहीत है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के पक्ष में राजीनामा पेश कर भूमि के प्रतिवादी संख्या 1 व उसके चारों पुत्रों को खातेदार घोषित किये जाने की सहमति दी है। चूंकि उक्त भूमि पक्षकारों की पैतृक उत्तराधिकार की सम्पति है जिसकी घोषणा करवाने का वादी अधिकारी है तथा इस पर पक्षकार सहमत भी है। इस प्रकार वादी का वाद माफिक राजीनामा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद माफिक राजीनामा डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम निम्बोला तहसील परबतसर की सरहद में खेत खसरा नंबर 30 रकबा 1.39 हैक्टेयर, खसरा नंबर 37 रकबा 0.13 हैक्टेयर कुल रकबा 1.52 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 गणपतसिंह पुत्र लालसिंह का 1/6 हिस्सा, दिलिपसिंह पुत्र गणपतसिंह का 1/6 हिस्सा, सज्जनसिंह पुत्र गणपतसिंह का 1/6 हिस्सा तथा हीरसिंह पुत्र गणपतसिंह का 1/6, धनकंवर पत्नि कालूसिंह का 1/6 हिस्सा एवं सुमन कंवर पत्नि सुगनसिंह का 1/6 हिस्सा खातेदारी घोषित की जाती है। वादी का हिस्सा हीरसिंह के 1/6 हिस्से में निहीत रहेगा। चूंकि विवादित भूमि यूबीआई शाखा बाजवास के रहन इन्द्राज है। अतः बैंक के रहन मुक्त का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित भूमि में अन्य हिस्सेदारों के काश्त कब्जे में किसी प्रकार का दखलन्दाजी नहीं करें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/02/19 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर किया जाकर मजमे आम में सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
परबतसर (नागौर)

डिक्री मुकदमां ईब्तदाई (ओ. 20 रूल 6–7 दीवानी)
अदालतः– **उपखण्ड अधिकारी परबतसर, जिला नागौर, राज.**
अज अदालत :– श्री शक्तिसिंह भाटी, आर.ए.एस.
दावा बाबत :– 88, 53, 188 आर.टी.एक्ट 1955

वादी – देवेन्द्रसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत उम्र 02 वर्ष नाबालिग जरिये संरक्षक सगी माता सुशीला कंवर पत्नि हीरसिंह जाति राजपूत निवासी निम्बोला तहसील परबतसर जिला नागौर राज0

बनाम

प्रतिवादी –1. गणपतसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत निवासी निम्बोला तहसील परबतसर जिला नागौर राज0 2. यू.बी.आई.बैंक शाखा बाजवास तहसील परबतसर। 3. तहसीलदार परबतसर। 4. उप पंजीयक भकरी। 5. उप पंजीयक परबतसर।

मुकदमां नम्बर :– 20 / 2018 निर्णय दिनांक :– 25/02/19

यह मुकदमां आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू........बहाजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई रूबरू...... मिनजानिब मुदालह पेश होकर दिया जाता है कि व डिक्री दी जाती हैं कि :–
वादी का वाद माफिक राजीनामा डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम निम्बोला तहसील परबतसर की सरहद में खेत खसरा नंबर 30 रकबा 1.39 हैक्टेयर, खसरा नंबर 37 रकबा 0.13 हैक्टेयर कुल रकबा 1.52 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 गणपतसिंह पुत्र लालसिंह का 1/6 हिस्सा, दिलिपसिंह पुत्र गणपतसिंह का 1/6 हिस्सा, सज्जनसिंह पुत्र गणपतसिंह का 1/6 हिस्सा तथा हीरसिंह पुत्र गणपतसिंह का 1/6, धनकंवर पत्नि कालूसिंह का 1/6 हिस्सा एवं सुमन कंवर पत्नि सुगनसिंह का 1/6 हिस्सा खातेदारी घोषित की जाती है। वादी का हिस्सा हीरसिंह के 1/6 हिस्से में निहीत रहेगा। चूंकि विवादित भूमि यूबीआई शाखा बाजवास के रहन इन्द्राज है। अतः बैंक के रहन मुक्त का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित भूमि में अन्य हिस्सेदारों के काश्त कब्जे में किसी प्रकार का दखलन्दाजी नहीं करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।
मुहर

दस्तखतः
ओहदा : उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा	–	–	स्टम्प अर्जीदावा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गाहान		
खर्चा गाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		